झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 08 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता मो० यासिन अंसारी पि० अमन,
पो०- मरगोमुण्डा,
थ०- मरगोमुण्डा, देवघर.

बनाम

प्रतिवादी DSO, देवघर.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

<u>वाद सं0–08 / 2023</u>

शिकायतकर्ता मो0 यासिन अंसारी एवं अन्य, पो0–मरगोमुण्डा, प्र0–मरगोमुण्डा, जिला–देवघर का शिकायत पत्र आयोग को प्राप्त हुआ जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा देवघर जिला के मरगोमुण्डा प्रखण्ड के राशन डीलरों को माह दिसम्बर, 2022 का PMGKAY एवं NFSA तथा माह जनवरी, 2023 का NFSA का अनाज PDS वितरण केन्द्र तक पहुँचाए बिना ही अनाज का उठाव ऑनलाईन कर देने एवं अनाज की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया गया है। परिवादी द्वारा देवघर जिले के सभी सहायक गोदाम मैनेजर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के मिली भगत का भी आरोप लगया गया है।

शिकायतकर्ता ने इस संबंध में कार्रवाई हेतु अनुरोध किया है। प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में आयोग के पत्रांक–158 दिनांक–27.02.2023 द्वारा विभाग को कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर आयोग स्तर से भी सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–22.03.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–22.03.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

6.3.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

06/03/23

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।